

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं ह0), बिहार,
वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

द्वारा- आंतरिक वित्तीय सलाहकार।

पटना, दिनांक- ९ / 11 / 2018

विषय:- श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर में प्री-फैब संरचना द्वारा इंसेपलाईटिस वार्ड के निर्माण हेतु, वित्तीय वर्ष 2015-16 में रु0 1,65,63,791/- (रुपये एक करोड़ पैंसठ लाख तिरसठ हजार सात सौ एकानवे) मात्र की लागत पर स्वीकृत योजना में वाह्य विद्युतीकरण, फर्निचर, ए0सी0 एवं मेडिकल गैस पाईपलाईन आदि जोड़े जाने के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2018-19 में बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त पुनरीक्षित प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर रु0 2,96,61,000/- (रुपये दो करोड़ छियानवे लाख एकसठ हजार) मात्र की लागत पर स्कीम (योजना) की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 में अतिरिक्त रु0 1,30,97,209/- (रुपये एक करोड़ तीस लाख सन्तानवे हजार दो सौ नौ) मात्र के व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषयक मुख्य महाप्रबंधक (परियोजना), बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना के पत्रांक-283, दिनांक-20.04.2018 के आलोक में श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर में प्री-फैब संरचना द्वारा इंसेपलाईटिस वार्ड के निर्माण हेतु, वित्तीय वर्ष 2015-16 में रु0 1,65,63,791/- (रुपये एक करोड़ पैंसठ लाख तिरसठ हजार सात सौ एकानवे) मात्र की लागत पर स्वीकृत योजना में वाह्य विद्युतीकरण, फर्निचर, ए0सी0 एवं मेडिकल गैस पाईपलाईन आदि जोड़े जाने के फलस्वरूप वित्तीय वर्ष 2018-19 में बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना से प्राप्त पुनरीक्षित प्राक्कलन एवं तकनीकी अनुमोदन के आधार पर रु0 2,96,61,000/- (रुपये दो करोड़ छियानवे लाख एकसठ हजार) मात्र की लागत पर स्कीम (योजना) की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2018-19 में अतिरिक्त रु0 1,30,97,209/- (रुपये एक करोड़ तीस लाख सन्तानवे हजार दो सौ नौ) मात्र के व्यय की स्वीकृति दी जाती है।

2- उक्त योजना हेतु विभागीय राज्यादेश सं0-501(1), दिनांक-28.04.2015 द्वारा रु0 1,65,63,791/- (रुपये एक करोड़ पैंसठ लाख तिरसठ हजार सात सौ एकानवे) मात्र की लागत पर योजना (स्कीम) की प्रशासनिक एवं व्यय की स्वीकृति प्रदान की गई थी। इस योजना हेतु शुद्धि पत्र सं0-1071(1)ब0, दिनांक-18.09.2015 एवं आवंटनादेश सं0-68(1)ब0, दिनांक-18.09.2015 द्वारा रु0 1,65,63,791/- (रुपये एक करोड़ पैंसठ लाख तिरसठ हजार सात सौ एकानवे) मात्र की राशि विभाग द्वारा बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना को प्रदान किया जा चुका है।

3- उक्त कार्य बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लि०, पटना द्वारा राज्यादेश संख्या-501(1), दिनांक-28.04.2015 में अंकित शर्तों के आधार पर कराया जायेगा।

4- यह राज्यादेश वित्त विभाग के परिपत्र संख्या-2561/वि0(2), दिनांक-17.04.98, 2880/वि0(2), दिनांक-06.05.06, 2938/वि0(2), दिनांक-08.04.08 एवं 3758/वि0, दिनांक-31.05.2017 के आलोक में निर्गत किया जा रहा है।

Q

- 5- इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना होंगे था नियंत्रण पदाधिकारी, निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे।
- 6- इस राशि के व्यय का वहन माँग संख्या-20, मुख्य शीर्ष-4210-चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय, उपमुख्य शीर्ष-03-चिकित्सा शिक्षा, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, लघु शीर्ष-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उप-शीर्ष-0101-मेडिकल कॉलेजों हेतु, विपत्र कोड-20-4210037890101 अंतर्गत विषय शीर्ष 53-मुख्य निर्माण कार्य के 0101.53.01 मुख्य निर्माण कार्य ईकाई में वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबधित राशि से किया जाएगा।
- 7- अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना बी0टी0सी0 फॉर्म-46 में तैयार विपत्र के माध्यम से राशि को नगद नहीं बल्कि खाता अंतरण के माध्यम से बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना को उपलब्ध करायेंगे, जो उक्त राशि को पी0एल0 एकाउन्ट सं0-PLA-244, विपत्र कोड-K8448001110002 में जमा कर कार्य को विधिवत् संपादित करायेंगे। राशि की निकासी कार्य की प्रगति को देखते हुए आवश्यकतानुसार की जाएगी।
- 8- बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं डी0सी0 बिल महालेखाकार, बिहार को भेजते हुए उसकी एक प्रति अवर सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को भी उपलब्ध करायेंगे।
- 9- प्रस्ताव एवं प्रारूप में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति सं0सं0-1/एस0के0अ0-07/2015 के पृष्ठ-11/टि0 पर प्राप्त है।
- 10- राशि की निकासी सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना से की जायेगी। राशि की निकासी के मामले में महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
- 11- इसमें प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना का अनुमोदन प्राप्त है।
- 12- यह मात्र राज्यादेश है, आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।

विश्वासभाजन

(राधेश्याम साह)

सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक:-1/एस0के0अ0-07/2015-1236(1)

/स्वा0, पटना, दिनांक- 8 / 11 / 2018

प्रतिलिपि:- महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग (बजट शाखा), बिहार, पटना/प्रमंडलीय आयुक्त, तिरहुत प्रमण्डल, मुजफ्फरपुर/जिलाधिकारी, मुजफ्फरपुर/कोषागार पदाधिकारी, विकास भवन, नया सचिवालय, पटना /अवर सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/प्राचार्य/अधीक्षक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- मा0 मंत्री, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/विशेष सचिव-सह-आंतरिक वित्तीय सलाहकार, स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/संयुक्त सचिव (प्रभारी प्रशाखा-1), स्वास्थ्य विभाग के आप्त सचिव/निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी-1/लेखा शाखा (दो प्रतियों में), स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना/कार्यवाह सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- प्रबंध निदेशक, बिहार चिकित्सा सेवाएँ एवं आधारभूत संरचना निगम लिमिटेड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि:- आई0टी0 मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव